दिनांकः- 10.09.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 10.09.2024 को थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा 02 वारण्टी **अभियुक्तगण 1- साबिर पुत्र लियाकत नि0 ग्राम चन्दपुरा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर** सम्बन्धित वाद सं0 – 2510/21 धारा 8/21 एनडीपाएस एक्ट में व **2- विक्रम पुत्र इसमपाल निवासी ग्राम सुआखेडी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर** सम्बन्धित वाद सं0 – 4876/24 धारा 60 आबकारी अधिनियम में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तो के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता -

1. साबिर पुत्र लियाकत नि0 ग्राम चन्दपुरा थाना सरसावा सहारनपुर
2. विक्रम पुत्र इसमपाल नि0 ग्राम सुआखेडी थाना सरसावा सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम -

1. उ0नि0 श्री रामवीर सिंह थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री सुरेन्द्र शर्मा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3. है0का0 25 जयप्रकाश थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
4. है0का0 1006 तरुण त्यागी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक: 10.09.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा पशु चोरी के मुकदमें में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त सेन्ट्रो कार बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 24.08.2024 को वादी श्री बिन्दू सिंह यादव पुत्र राम सिंह निवासी ग्राम सम्भालकी थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत दिनांक 20.08.2024 की रात्रि में अज्ञात चोरो द्वारा वादी के घेर से 01 भैंस चोरी हो जाने की सूचना के आधार पर मु0अ0सं0 172/24 धारा 305ए बीएनएस व वादी श्री सुन्दर लाल पुत्र बिरमपाल निवासी ग्राम मथाना थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत दिनांक 22.08.2024 की रात्रि में अज्ञात चोरो द्वारा वादी के घेर से 01 भैंस मय नवजात कटिया की चोरी करने की सूचना के आधार पर मु0अ0सं0 173/24 धारा 305ए बीएनएस के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तो की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 10.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त दोनों मुकदमो में भैंस चोरी की घटना में वाछित चल रहे **अभियुक्त शोएब पुत्र इरफान निवासी घाना खण्डी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर** को ग्राम बड़कला फ्लाईओवर के नीचे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त सैन्ट्रो कार (DL2CW7564) बरामद। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैने और मेरे साथियों ने मिलकर दिनांक 20.08.2024 की रात्रि में तालाब के पास ग्राम सम्भालकी गुर्जर में घेर से व दिनांक 22.8.2024 की रात्रि में दूसरी भैंस मय कटिया (लवारे) के ग्राम मथाना में गांव के बाहर बने घेर से चोरी की थी। भैंसो को घर के बाहर पैदल-पैदल लाकर उसके बाद सैन्ट्रो कार में लादकर ले जाते थे और बेचने के लिये भैंसो को अलग-अलग जगह पर रखते थे। दिनांक 25.08.2024 को मैं व मेरे दो साथी सलमान व मुस्तकीम ग्राहको ढूंढने के लिये गये थे तब पुलिस ने मेरे तीन अन्य साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और पुलिस ने चोरी की गयी भैंसो को भी बरामद कर लिया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

शोएब पुत्र इरफान नि0 घाना खणडी थाना कोतवाली देहात सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

01 सेन्ट्रो कार (घटना में प्रयुक्त) DL2CW7564

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 36/24 धारा 307/414 भादवि व 3/25/27 आयुध अधि0 थाना बेहट सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 63/24 धारा 307 भादवि व 3/25/27 आयुध अधि0 थाना बेहट सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 390/23 धारा 120 B, 380, 411, 457 भादवि थाना बेहट सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 412/23 धारा 120 B, 379, 411 भादवि थाना बेहट सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 420/23 धारा 120 B, 379, 411 भादवि थाना बेहट सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 477/23 धारा 307/420 भादवि व 3/4/25 आयुध अधि0 थाना बेहट सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 141/23 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर

8. मु0अ0सं0 152/22 धारा 307 भादवि थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर
9. मु0अ0सं0 155/22 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर
10. मु0अ0सं0 156/22 धारा 3/5ए/8 सीएस एक्ट व 3/11 पशु क्रूरता अधि0 थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर
11. मु0अ0सं0 157/22 धारा 414 भादवि थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर
12. मु0अ0सं0 228/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर
13. मु0अ0सं0 118/23 धारा 120 B, 307, 465 भादवि व 3/25/27 आयुध अधि0 थाना सरसावा सहारनपुर
14. मु0अ0सं0 172/24 धारा 305(a) बीएनएस थाना फतेहपुर सहारनपुर
15. मु0अ0सं0 173/24 धारा 305(a) बीएनएस थाना फतेहपुर सहारनपुर

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री सोनू राणा थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री विजयपाल सिंह थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
4. उ0नि0 श्री गौरव कुमार थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
5. उ0नि0 श्री अंकित कुमार थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
6. है0का0 307 प्रदीप कुमार थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
7. है0का0 961 रोहित राणा थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर

दिनांक: 10.09.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा मारपीट के मुकदमें में वांछित चल रहे अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 24.07.2024 को वादी श्री अमन पवांर पुत्र सुधीर पवांर निवासी दयाल कालौनी थाना सदर बाजार सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात अभियुक्तगण 1. घनश्याम पंडित पुत्र नामालूम निवासी हकीकत नगर थाना सदर बाजार सहारनपुर, 2. हिमांशू सहानी पुत्र सुरेन्द्र कुमार सहानी नि0 उपरोक्त व 3. अरमान पुत्र नामालूम निवासी डेराइलाहीपुरा थाना सदर बाजार सहारनपुर द्वारा एक राय होकर लाठी डन्डे व तलवार से लैस होकर वादी के साथ मारपीट करने की सूचना के आधार पर थाना सदर बाजार पर मु0अ0स0 410/2024 धारा 131/191(2)/191(3)/190/110 बीएनएस के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन मे पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 10.09.2024 को थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित **अभियुक्त हिमांशू सहानी उर्फ शंकर सहानी पुत्र सुरेन्द्र कुमार सहानी निवासी हकीकत नगर थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर** को घोडा कालोनी के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यावाही कर समय से मान0 न्यायालय में पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछ- अभियुक्त हिमांशु उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मै अपने दोस्तो के साथ मिशन कम्पाउण्ड मे खाने पीने के लिए आये था तभी हमारी तीन लडको से बहस हो गयी वो लोग हमसे धक्का मुक्की करके भाग गये थे। हम लोग उनकी तलाश करते हुए सैन्ट मैरी स्कूल पर पहुँचे तो हमे एक लडका दिखाई दिया जिसे देखकर मैने अपने दोस्तो से कहा मुझे यह वही लडका लग रहा है। जिसने मेरे साथ मारपीट की थी फिर मैने व मेरे साथी उस लड़के के साथ मारपीट करके वहा से भाग गये।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

हिमांशू सहानी उर्फ शंकर सहानी पुत्र सुरेन्द्र कुमार सहानी निवासी हकीकत नगर थाना सदर बाजार सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 श्री देवेन्द्र अधाना थाना सदर बाजार सहारनपुर।
2. का0 2011 अजय तोमर थाना सदर बाजार सहारनपुर
4. है0का0 825 मनोज खोखर थाना सदर बाजार सहारनपुर।

दिनांकः 10.09.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 6.7 ग्राम अवैध स्मैक बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नशीले पदार्थो की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार गौतम के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 10.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर **अभियुक्त सन्व्वर पुत्र इरफान नि0 ग्राम खेडा अफगान थाना नकुड जिला सहारनपुर** को गंगोह रोड पर बन्द पडे पट्रोल पम्प के पास से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के कब्जे से 6.7 ग्राम अवैध स्मैक बरामद । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 316/24 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का बयानः- अभियुक्त सनव्वर उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि मैं पढ़ा लिखा नही हूँ और स्मैक का नशा करता हूँ, बाहर से सस्ती स्मैक ले आता हूँ जिसमें से कुछ स्मैक बेचकर मुनाफा कमा लेता हूं, जिससे मेरा खर्च चल जाता है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सन्व्वर पुत्र इरफान नि0 ग्राम खेडा अफगान थाना नकुड जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

6.7 ग्राम अवैध स्मैक

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री रचित यादव थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
3. है0का0 866 सचिन ढाका थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
4. है0का0 416 कपिल थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर